भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 279
03 फरवरी, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

स्तन और ग्रीवा कैंसर के मामले

279. सुश्री एस. जोतिमणि:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा स्तन और ग्रीवा कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ताकि मृत्यु दर में कमी लाने में मदद मिल सके;

(ख) क्या सरकार सभी जिला और तालुका अस्पतालों के लिए स्तन कैंसर की जांच की सुविधाएं प्रदान करना अनिवार्य बनाने पर विचार करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं सहित भारतीय महिलाओं में स्तन कैंसर के प्रारंभिक लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार के कार्यकलापों पर 2019 से वार्षिक व्यय कितना किया गया है;

(घ) क्या सरकार सरकारी अस्पतालों में 40 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को वर्ष में एक बार नि:शुल्क मैमोग्राम की अनुमति देने पर विचार करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा स्तन कैंसर के प्रारंभिक लक्षणों का पता लगाने के संबंध में आशा/आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं को संवेदनशील बनाने और प्रशिक्षित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (ङ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के भाग के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और आघातों की रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस) के तहत तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों पर आधारित और संसाधन सीमा के अध्ययधीन होती है। कैंसर के तीन मुख्य सामान्य प्रकार (मुख कैंसर, स्तन कैंसर और गर्भाशय कैंसर) एनपीसीडीसीएस का अभिन्न अंग है। यह

कार्यक्रम कैंसर सहित आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य संवर्धन एवं कैंसर की रोकथाम के लिए जागरूकता सृजन, शीघ्र निदान, प्रबंधन तथा कैंसर सहित गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के इलाज के लिए उपयुक्त स्तर की स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र में रेफरल पर ध्यान केन्द्रित करता है।

एनएचएम के तहत और व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के भाग के रूप में भी सामान्य एनसीडी अर्थात् मधुमेह, रक्तचाप और सामान्य कैंसरों की रोकथाम, नियंत्रण एवं स्क्रीनिंग के लिए देश में एक जनसंख्या आधारित पहल शुरू की गई है। इस पहल के तहत, 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए तीन साधारण कैंसरों अर्थात् मुख, स्तन तथा गर्भाशय के लिए स्क्रीनिंग लक्षित की गई है। आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्रों के तहत इन सामान्य कैंसरों की जांच सेवा प्रदानगी का अभिन्न अंग है।

कैंसर के निवारक पहलुओं को सामुदायिक स्तर पर आयुष्मान भारत स्वास्थ्य आरोग्य केन्द्र योजना के माध्यम से आरोग्य क्रियाकलापों और लक्षित संप्रेषण को बढ़ावा देकर व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के तहत सुदृढ़ किया जाता है। कैंसर के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने और स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य पहलों में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और विश्व कैंसर दिवस मनाना और निरंतर सामुदायिक जागरूकता के लिए प्रिंट, इलैक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का उपयोग शामिल है। इसके अलावा, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के माध्यम से स्वस्थ खानपान को भी बढ़ावा दिया जाता है। युवा कार्य और खेलकूद मंत्रालय ने फिट इंडिया मूवमैंट का भी क्रियान्वयन किया है तथा आयुष मंत्रालय द्वारा विभिन्न योग से संबंधित क्रियाकलापों को चलाया जाता है। इसके अतिरिक्त, एनपीसीडीसीएस, एनएचएम के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनके कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना (पीआईपी) के अनुसार कैंसर के लिए जागरूकता सृजन (आईईसी) क्रियाकलापों को आरंभ करने के लिए वित्तीय सहायता देता है।

एनपीसीडीसीएस के तहत संचालित कार्यकलापों हेतु एनसीडी फ्लैक्सिबल पूल के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा अनुलग्नक में संलग्न है।

स्तन कैंसर सहित तीन सामान्य कैंसर की शीघ्र पहचान के लिए आशाकर्मियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं।

अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान एनएचएम के तहत एनसीडी हेतु फ्लैक्सिबल पूल के तहत एनपीसीडीसीएस के लिए व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

(लाख रु.में)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
		उपयोग	**उपयोग**	**उपयोग**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	11.44	24.23	19.61
2	आंध्र प्रदेश	287.92	1193.22	4206.67
3	अरुणाचल प्रदेश	128.28	151.06	825.60
4	असम	625.33	238.50	736.35
5	बिहार	277.96	818.86	453.73
6	चंडीगढ़	1.63	0.41	7.35
7	छत्तीसगढ	508.25	703.69	1686.65
8	दादरा और नगर हवेली	25.11	45.16	55.18
9	दमन और दीव	16.38		
10	दिल्ली	12.24	3.65	26.92
11	गोवा	35.31	24.50	96.54
12	गुजरात	460.97	375.67	926.67
13	हरियाणा	195.34	181.62	353.18
14	हिमाचल प्रदेश	164.88	64.67	190.19
15	जम्मू और कश्मीर	136.72	42.49	890.34
16	झारखंड	118.98	238.12	1273.15
17	कर्नाटक	644.56	604.32	2186.39
18	केरल	144.55	1035.71	734.43
19	लद्दाख	-	10.39	150.91
20	लक्षद्वीप	1.24	2.85	3.07
21	मध्य प्रदेश	257.45	694.32	1262.50
22	महाराष्ट्र	1377.52	486.75	3474.90
23	मणिपुर	267.66	20.14	95.41

24	मेघालय	79.11	330.26	401.94
25	मिजोरम	15.21	15.80	230.86
26	नगालैंड	93.89	37.86	610.04
27	ओडिशा	549.30	1021.54	1944.10
28	पुदुच्चेरी	19.34	1.46	24.81
29	पंजाब	107.62	83.17	160.83
30	राजस्थान	2126.20	882.62	3301.67
31	सिक्किम	25.44	9.20	45.79
32	तमिलनाडु	735.97	371.00	2985.56
33	तेलंगाना	239.42	351.54	2657.83
34	त्रिपुरा	162.00	104.05	247.35
35	उत्तर प्रदेश	2908.04	1888.30	5237.37
36	उत्तराखंड	39.66	0.00	327.57
37	पश्चिम बंगाल	672.00	916.39	3517.71

नोट:

1. उपर्युक्त आंकड़ों में गैर-आवर्ती शामिल हैं: नवीनीकरण और प्रस्तुतीकरण, जिला एनसीडी क्लिनिक, सीएचसी में एनसीडी क्लिनिक, आदि। आवर्ती अनुदान: विविध और आकस्मिकताएं, शिक्षा और संचार और प्रशिक्षण, सार्वजनिक निजी भागीदारी, अनुसंधान और निगरानी आदि।
2. उपयोग में केंद्रीय निर्गत, राज्य निर्गत और वर्ष की शुरुआत में अव्ययित शेष राशि से उपयोग शामिल है। यह दिनांक 31.03.2022 तक अद्यतन है और अनंतिम है।
3. उपर्युक्त आंकड़े उपलब्ध वित्तीय प्रबंधन रिपोर्ट (एफएमआर) के अनुसार हैं जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट किए गए हैं।

******